JALAUN POLICE

दिनांक– 07.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 65,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

<u>प्रकरण</u>– वादिया द्वारा कोतवाली उरई में तहरीरी सूचना दी गयी कि आरोपी अनुज कुमार कुशवाहा पुत्र मुन्नी लाल कुशवाहा नि0 ग्राम भिटारा कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। जिसके संबन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 17.03.2023 को कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 139/23 (वाद संख्या 57/23) धारा- 363/366/376(3) भादवि व ¾(2) पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा दिनांक 01.05.2023 को आरोपी अनुज कुमार कुशवाहा उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 01.05.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.08.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अनुज कुमार कुशवाहा उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 65,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।